तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2019	**एकल पीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित–** श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी। श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी। **निर्णय** 1– यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.8.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय के समक्ष सर्व प्रथम एक दावा हुकम सिंह बनाम मुंशी (मृतक) जरिये वारिसान के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया तथा वर्तमान गैर निगरानीकर्ता/वादी गुरनामसिंह पुत्र मुंशी ने भी एक दावा हुकमसिंह पुत्र कलुआ वगैरह के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता/प्रतिवादी हुकमसिंह ने एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 10 जाप्ता दिवानी इस प्रकार का पेश किया कि इन्ही पक्षकारो के बीच इसी भूमि से सम्बन्धित प्रकरण पूर्व में राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। अतः पश्चातवर्ती दावे की सुनवायी स्थगित की जानी चाहिए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने दिनांक 30.8.2005 को अत्यंत सरसरी तौर से आदेश देते हुये एक पंक्ति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी राजस्व मंडल में पेश की गई है। 3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निगरानी प्रार्थी/प्रतिवादी हुकमसिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन करते हुए इसी भूमि से सम्बन्धित तथा इन्ही पक्षकारों के बीच विचाराधीन प्रकरण स्थगित करने की प्रार्थना की थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारक्षेत्र का सहीरूप से प्रयोग न कर निगरानी प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। निगरानी प्रार्थी /प्रतिवादी का पूर्व का दावा राजस्व मण्डल तक आ चुका है तथा विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि दोनो ही प्रकरण यदि अलग अलग चलते है तो पूरी सम्भावना है कि इनके निर्णय कही परस्पर विरोधी नहीं हो जावे। उक्त तथ्य पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। निगरानी प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये पश्चातवर्ती दावे की कार्यवाही स्थगित की जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। 5— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन करते हुए अपने निर्णय प्रदान किए है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 6— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ संलग्न निर्णय, उपलब्ध दस्तावेज एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया। 7— पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3 जगदीश ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 18.03.2005 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि ''इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी भूमि पर एक केस हुकमसिंह बनाम मुन्शी वगैरह न्यायालय श्रीमान जी में विचाराधीन है, जिसकी पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी में तलब कर ली गई है। अतः पूर्व प्रकरण के रहते हुए इस प्रकरण का विचारण न्यायालय श्रीमान जी द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब तक यह प्रकरण पूर्व के प्रकरण के साथ साथ इसी कारण से चलता रहा है।'' अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि हुकमसिंह बनाम मुन्शी में जो पक्षकार नियत है वह उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं है। उक्त प्रकरण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत है तथा हुकमसिंह बनाम मुन्शी प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है। अतः प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 30.8.2005 को आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसमें अंकित किया है ''प्रार्थना पत्र 10 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र खारिज। वास्ते बहस फाईनल दिनांक 9.09. 2005 को पेश हो।'' 8— विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिवादीगण ने कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया कि हुकमसिंह बनाम मुन्शी वगैरह प्रकरण का नम्बर क्या है व उसमें कौन कौन पक्षकार हैं। विवादित आराजी क्या दोनों प्रकरणों में एक समान हैं एवं क्या वह प्रकरण भी धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचाराधीन है? उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने कोई भी दस्तावेज तथा दावा व जवाबदावा की प्रति आदि प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके की दोनों प्रकरण समान हैं अथवा नहीं। अप्रार्थी के जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित है कि दोनों प्रकरणों में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार अलग अलग है और दोनों ही प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना जवाबदावा दिनांक 5.04.2002 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था और उसमें भी इस तथ्य का कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा में अंकित तथ्य के आधार पर दिनांक 11.09. 2002 को तनकी कायम कर की। उभय पक्षों की गवाही भी पूर्ण हो चुकी थी और प्रकरण अंतिम बहस में लगा हुआ था। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत करना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह प्रार्थना पत्र महज देरीना करने के दृष्टिकोण से पेश किया गया है जो कि सारहीन है। 9— विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 30.08.2005 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त आक्षेपित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में कोई सार गर्भित तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30.08.2005 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	